यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 23/2019 **दायर दिनांकः 05.02.2019**

उनवान

1. रामदयाल आयु 45 वर्ष पुत्र घांसी जाति सहर

1/1 जशोदा बाई आयु 45 वर्ष पत्नि रामदयाल जाति सहर

1/2 नवीन आयु 18 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति सहर निवासीगण मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

1/3 नीतू आयु 14 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति सहर जर्येवली माता सरंक्षक जशोदा बाई पत्नि रामदयाल जाति सहर निवासी मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

1/4 प्रमिला पुत्री रामदयाल पत्नि सोनू जाति सहर निवासी कामटा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

2. लक्ष्मीचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति सहर

3. सावित्री आयु 40 वर्ष पुत्री घांसी जाति सहर

4. पुष्पा आयु 70 वर्ष बेवा घांसी जाति सहर

5. मनोज आयु 35 वर्ष पुत्र मदन जाति सहर

6. कुसुमलता आयु 30 वर्ष पुत्री मदन जाति सहर

7. धन्नी आयु 60 वर्ष बेवा मदन जाति सहर निवासीगण मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल आयु 70 वर्ष पुत्र रतना कोम सहर निवासी मुकुन्दपुरा हाल मुकाम आनन्द विहार कॉलोनी छबड़ा जिला बारां (राज०)

2. घनश्याम आयु 40 वर्ष पुत्र राघ्या उर्फ राधेश्याम कोम सहर निवासी मुकुन्दपुरा हाल मुकाम आलमपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

3. सचिव बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज०)

4. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवार्ड जिला बारा (राज०)

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रतिवादी क्रम 3

विद्वान अभिभाषक श्री हरिश चन्द्र हाडा प्रतिवादी क्रम 4

निर्णय दिनाकः 24.04.2025

वादीगण ने यह वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वाके माल एवं ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में आराजी साबिक ख०न० मि०न० 1449 का रकबा 5 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 चम्पालाल एवं मि०न० ख0न0 1449 का रकबा 5 बीघा आराजी प्रतिवादी क्रम 2 के पिता राध्या के खाते दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दीयाँ सम्वत 2036 से 2039 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गोर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट ने नये ख०न० साबिक ख०न० मि०न० 1449 का रकबा 5 बीघा के ख0न0 1902 का रकबा 0.79 है० प्रतिवादी क्रम 1 के खाते व साबिक ख०न० मि०न० 1449 का रकबा 5 बीघा के ख0न0 1906 का रकबा 0.02 है०, ख0न0 1907 का रकबा 0.49 है० कुल 2 किता का रकबा 0.51 है० प्रतिवादी क्रम 2 के पिता के खाते दर्ज किए हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबन्दीयों वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पूर्व में वाके माल ग्राम कवाई में स्थित थी परन्तु वर्तमान में ग्राम मुकुन्दपुरा ग्राम कवाई से अलग राजस्व ग्राम बन जाने से ग्राम मुकुन्दपुरा में स्थित हैं। खातेदार राध्या की मृत्यु हो चुकी हैं जिसका नाम इन्तकाल नं0 106 दिनांक 20/07/2016 से नाम शुद्ध होकर राध्या के स्थान पर राधेश्याम दर्ज हो चुका हैं। जिसका मात्र वारिस पुत्र घनश्याम को प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया हैं।

वादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैंः–

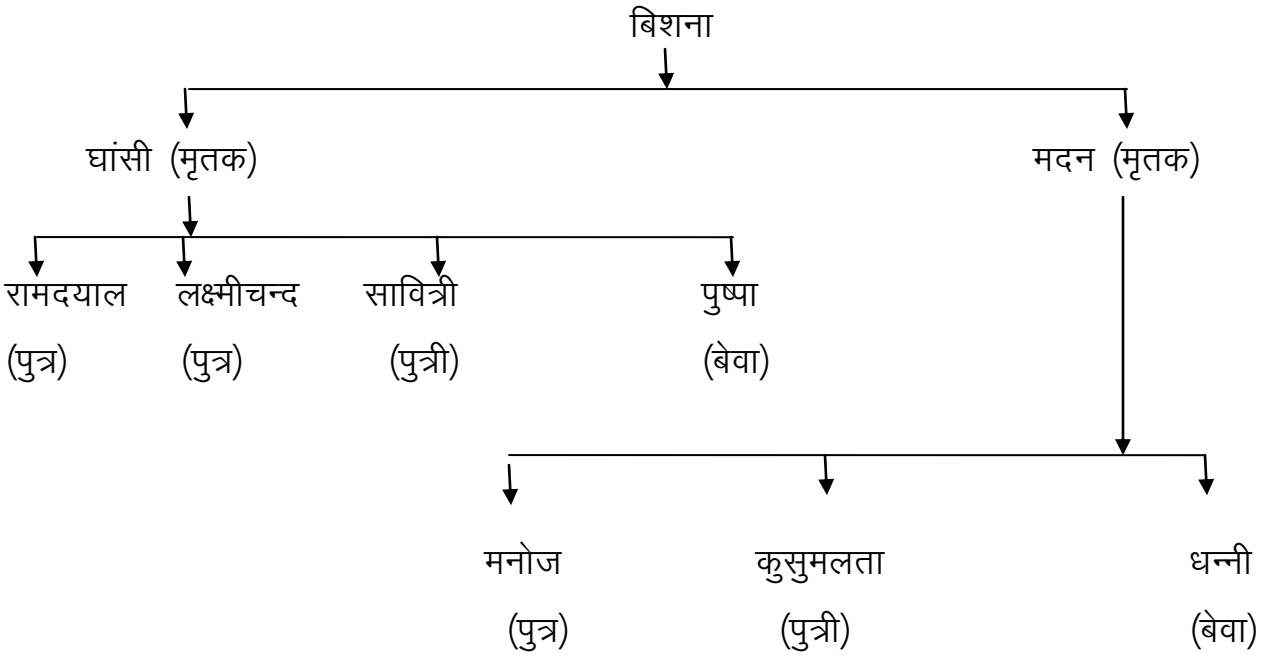

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 चम्पा व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता राध्या ने अपने–अपने खाते की भूमि को प्रतिवादी क्रम 3 बारां सहकारी भूमि विकास बैंक के रहन रखकर ऋण ले रखा था। बैंक का ऋण अदा नहीं होने पर बैंक द्वारा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि को दिनांक 10/02/1982 को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 1) के अधीन सार्वजनिक नीलामी में नीलाम किया जिसे वादी क्रम 1, 2, 3, 5, 6 के दादा जी व वादी क्रम 4 व 7 के दादी ससुर बिशना पुत्र भैरू जाति सहर निवासी मुकुन्दपुरा ने 13375/– रूपये में खरीद कर दिनांक 10/02/1982 को राशि अदा कर विक्रय की पुष्टि अधीनियम की धारा 107 के अधीन कर दी गई तथा दिनांक 18/09/1982 को कब्जा देकर अधिकार दे दिया गया था तबसे उक्त भूमि पर वादीक्रम 1, 2, 3, 5, 6 के दादाजी व वादी क्रम 4 व 7 के दादी ससुर बिशना के कब्जे काश्त में रही व बिशना की मृत्यु के पश्चात् उसके दो पुत्र वादी क्रम 1, 2, 3 के पिता व 4 के पति घांसी एवं वादी क्रम 5, 6 के पिता व 7 के पति मदन के कब्जे काश्त में रही और घांसी व मदन की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा नीलाम करने के पश्चात् नियमानुसार बैंक द्वारा एक प्रति सब रजिस्ट्रार अटरू को प्रेषित कर निवेदन किया कि बिशना पुत्र भैरू जाति सहर निवासी मुकुन्दपुरा द्वारा उपरोक्त वर्णित अपनी अचल सम्पत्ति सम्बन्धित रजिस्टर में

दर्ज करने की व्यवस्था करें द्वितीय प्रति प्रतिवादी क्रम 4 को पेश कर निवेदन किया कि बिशना पुत्र भैरू सहर को प्रमाण पत्र में वर्णित भूमि पर कब्जा दिलवाया जायें जिसकी पालना में वादी क्रम 1, 2, 3, 5, 6 के दादाजी एवं 4 व 7 के दादी ससुर बिशना को कब्जा दे दिया गया तब से उक्त भूमि बिशना के बिशना की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र घांसी व मदन का कब्जा काश्त रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में बदस्तूर चली आ रही हैं। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने व प्रतिलिपी सबरजिस्ट्रार महोदय अटरू को प्रेषित करने के पश्चात् भी सब रजिस्ट्रार अटरू ने बिशना पुत्र भैरू का नाम अपने अचल सम्पत्ति सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज नहीं किया और न ही प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा नामान्तरण खोलकर खाते दर्ज किया। जिसमें वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी आज भी पूर्व खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 चम्पा व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता राध्या के खाते दर्ज चली आ रही हैं। प्रतिवादी क्रम 1 चम्पा व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता राध्या का नाम खाते में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जबकि वादीगण का कब्जा उक्त आराजी पर वादी क्रम 1, 2, 3, 5, 6 के दादाजी एवं 4 व 7 के दादी ससुर बिशना व उनकी मृत्यु के पश्चात् पुत्र घांसी व मदन व इनकी मृत्यु के पश्चात् अर्थात् सन् 1982 से वादीगण का पारिवारिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण मुताबिक प्रतिवादी क्रम 3 के प्रमाण पत्र एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादी क्रम 1 ता 4 हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 5 ता 7 हिस्सा 1/2 में अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा यह जानते हुए भी कि वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 25 की ख0न0 1902 रकबा 0.79 है० प्रतिवादी क्रम 3 सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा बिशना को बेचान की जा चुकी हैं जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा हैं परन्तु खाते में प्रतिवादी क्रम 3 के नाम रहन दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम 3 से साठ–गाठ कर नोड्यूज लेकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाकर प्रतिवादी क्रम 4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई के रहन रखाकर ऋण प्राप्त कर लिया। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं और प्रतिवादी क्रम 4 उक्त भूमि को निलामी बोली लगाकर बेचान करने पर आमदा है। यह कि बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण द्वारा किए जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही हैं यदि प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 उक्त आराजी से वादीगण को जबरदस्ती बेदखल कर कब्जा कर लिया और भूमि खुर्द–बुर्द कर दी तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किया

जाना सम्भव नहीं हैं और वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को वादी क्रम 1 ता 4 के हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 4 ता 7 के हिस्सा 1/2 में खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2, 4 को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं कि वे वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा कर विक्रय, रहन, खुर्द–बुर्द कर हस्तान्तरण नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। विवादित आराजी खाता संख्या 25 की पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई के रहन दर्ज होने से उसे प्रतिवादी क्रम 4 बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का 2 माह का विधिक नोटिस दिनांक 03/12/2018 को प्रेषित कर दिया गया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी०पी०सी० के आवेदन के साथ यह वाद माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद घोषणा खातेदारी का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 4 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 के पिता का नाम उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी को दिनांक 22/01/2019 को खुद–बुर्द कर हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जायें:–

(अ) माल एवं ग्राम मुकुन्दपुरा में स्थित वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी वादी क्रम 1 ता 4 के हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 5 ता 7 के हिस्सा 1/2 में खाते दर्ज की जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 व 2, 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा कर रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द कर हस्तान्तरण नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें न ही अपने वैध प्रतिनिधियों से करावें।

(स) यदि दौराने दावा आराजी को रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द कर हस्तान्तरण कर दे तो वापस वादीगण के खाते दर्ज की जावें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वादिया को प्रदान की जावें।

अभिभाषक वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई खाता संख्या 307 सम्वत 2036–2039, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई खाता संख्या 304 सम्वत 2036–2039, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मुकन्दपुरा खाता संख्या 25 सम्वत 2071–2074, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मुकन्दपुरा खाता संख्या 98 सम्वत 2071–2074, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कवाई, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई खाता संख्या 164 सम्वत 2063–2066, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कवाई खाता संख्या 522 सम्वत 2063–2066, नकल विक्रय पत्र बारां सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बारां आदि दस्तावेज पेश किये गये।

. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 3 में में वर्णित तथ्य स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 6 में आराजी को सहकारी भूमि विकास बैंक के यहाँ रहन रखना व नीलाम करना स्वीकार है। शेष विवरण जिस तरह से लिखा गया है अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद न. 7 जिस तरह से लिखी गई है, अस्वीकार है कोई भी रजिस्ट्री के लिये नही आया। वाद पत्र की मद न. 8 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 10 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 11 जिस तरह से लिखी गई है, अस्वीकार है। वादीगण को न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर रजिस्ट्री करवाना चाहिये। वाद पत्र की मद न. 12 कानूनी है। वाद की पत्र की मद न. 13 कानूनी है। वाद पत्र की मद न. 14 कानूनी है। वाद पत्र की मद न. 15 जिस तरह से लिखी गई है अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 16 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 17 अस्वीकार है। वाद की पत्र की मद न. 18 कानूनी है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन किये गये।

विशेष कथन

वादीगण को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर बैंक प्रतिवादी क्रम 3 से रजिस्ट्री करवाना चाहिए। वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी को सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाकर क्रय करने वाले बोलीदार की मृत्यू हो चुकी है, जिसके कोई विधिक वारिसान नहीं है। प्रतिवादी क्रम 3 बैंक न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर आने वाले उत्तराधिकारियों के नाम रजिस्ट्री करवाने हेतु तैयार व तत्पर है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी ग्राम व माल मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 से मद नं0 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 10 में वर्णित तथ्य प्रतिवादी क्रम 4 के यहा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि खाता संख्या 25 की ख0नं0 1902 रकबा 0.79 है0 रहन भार दर्ज होना स्वीकार है, शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 11 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 12 में वर्णित तथ्य खाता संख्या 25 की भूमि प्रतिवादी क्रम 4 शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. कवाई के रहन भार दर्ज होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 13, 14, 16, 17, 18 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 15 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 4 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई के रहन भार दर्ज है इसलिए जब तक प्रतिवादी क्रम 4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई की बैंक का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक पक्षकारान किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक प्रतिवादी क्रम 4 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवाई का समस्त ऋण मय ब्याज अदा नही हो जाता तब तक पक्षकारान को किसी प्रकार की कानूनी सहायता नही दिये जाने की कृपा करें।

अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 व 151 सीपीसी पेश किया गया।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी</u>:– स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय–

1. जहॉ अभिवचन में या अन्यथा चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी है वहॉ न्यायालय वाद के किसी प्रकम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारणा की प्रतिक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
2. जब कभी उपनियम (1) के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वही तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था।

माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त है कि–

1. स्वीकृति संदेह रहित, बिना शर्त और एक स्वर में होनी चाहिए।
2. ऐसी स्वीकारोक्ति जो सशर्त है उसे सशर्त ही स्वीकार किया जा सकता है या बिल्कुल नही।

प्रार्थना पत्र के संबंध में सीधे बहस सूनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 3 ने अवगत कराया कि र्सावजनिक नीलामी में बोली लगाकर क्रय करने वाले बोलीदार की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कोई विधिक वारिसान नही है। उसके वारिसान को रजिस्ट्री करवाने में आपत्ति नही है।

बोलीदार बिशना के विधिक वारिसान के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/546 दिनांक 06.03.2025 के अनुसार बिशना का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

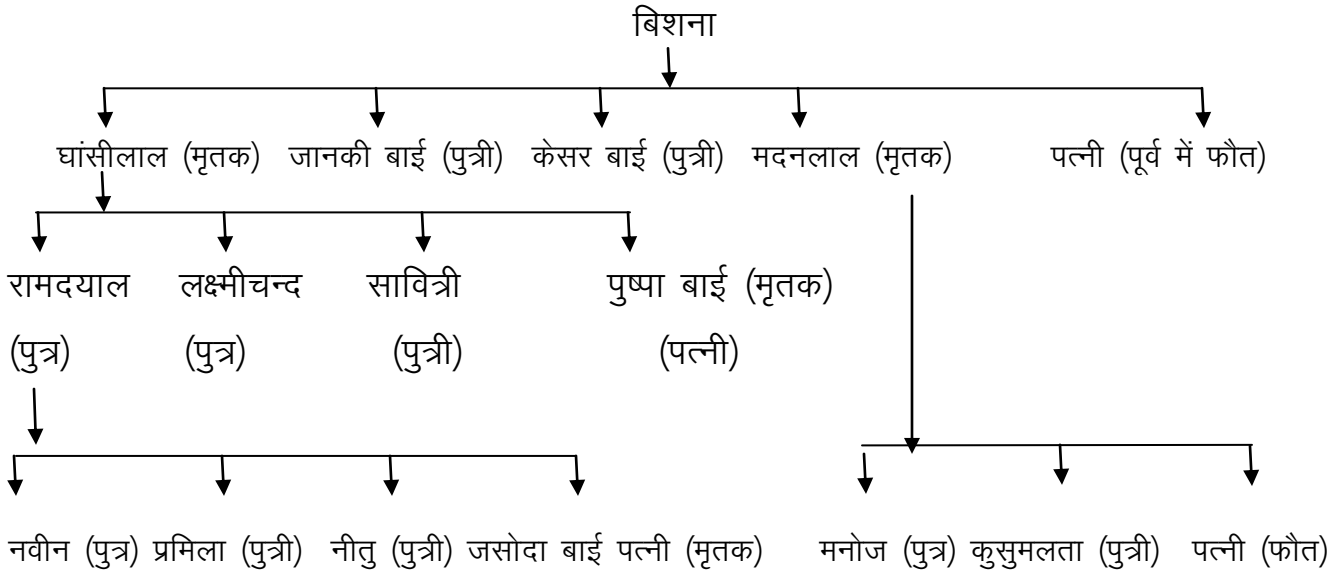

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बारां सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बारां के प्रपत्र (3) के अनुसार राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के अधीन खरीददार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसमें ग्राम कवाई तहसील अटरू के तत्कालीन ख0नं0 1449 का रकबा 5 बीघा एवं ख0न0 1449 का रकबा 5 बीघा आराजी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा (1) के अधीन पारित सम्पति को सार्वजनिक नीलामी में दिनांक 10.02.1982 को मुकन्दपुरा स्थान पर श्री बिशना को 13375 रूपये में बैचना बताया है तथा बिशना को खरीददार घोषित कर सम्पति की विक्रय राशि 13375/– रू भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा 10.02.1982 को प्राप्त करना बताया गया है।

सचिव बारां सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बारां के पत्रानुसार श्री बिशना द्वारा सर्म्पूण राशि जमा करवाना साबित है तथा तहसीलदार अटरू को श्री बिशना पुत्र भैरू सहर ग्राम मुकन्दपुरा तहसील अटरू को विक्रय प्रमाण पत्र में वर्णित भूमि का कब्जा दिलवाये जाने बाबत् लिखा गया है।

प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया है तथा प्रतिवादी क्रम 3 (सचिव बारां सहकारी भूमि विकास बैंक अटरू जिला बारां) द्वारा जवाब में विवादित आराजी को नीलाम करना स्वीकार किया है तथा नीलामी के बाद की कार्यवाही की पुष्टि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा नीलामी में क्रेता (बिशना) के वारिसान की रिपोर्ट लेने की शर्त पर रजिस्ट्री करवाने की सहमति दी है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/546 दिनांक 06.03.2025 के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरे की पुष्टि होती है तथा क्रेता बिशना की पुत्रियों जानकी बाई व केशर बाई द्वारा जरिए अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर द्वारा शपथ पेश कर उक्त भूमि को भाइयों के नाम दर्ज करने में आपत्ति नही की है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल मुकन्दपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1902 का रकबा 0.79 है0, ख0नं0 1906 रकबा 0.02 है0 व ख0नं0 1907 रकबा 0.49 है0 आराजी वादी क्रम 1 ता 4 के हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 5

ता 7 के हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू संबंधित द्वारा बैंक के रहन की राशि जमा किए जाने के पश्चात नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। सहमति पत्र निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 23/2019 **दायर दिनांकः 05.02.2019**

उनवान

1. रामदयाल आयु 45 वर्ष पुत्र घांसी जाति सहर

1/1 जशोदा बाई आयु 45 वर्ष पत्नि रामदयाल जाति सहर

1/2 नवीन आयु 18 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति सहर निवासीगण मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

1/3 नीतू आयु 14 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति सहर जर्येवली माता सरंक्षक जशोदा बाई पत्नि रामदयाल जाति सहर निवासी मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

1/4 प्रमिला पुत्री रामदयाल पत्नि सोनू जाति सहर निवासी कामटा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

2. लक्ष्मीचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति सहर

3. सावित्री आयु 40 वर्ष पुत्री घांसी जाति सहर

4. पुष्पा आयु 70 वर्ष बेवा घांसी जाति सहर

5. मनोज आयु 35 वर्ष पुत्र मदन जाति सहर

6. कुसुमलता आयु 30 वर्ष पुत्री मदन जाति सहर

7. धन्नी आयु 60 वर्ष बेवा मदन जाति सहर निवासीगण मुकुन्दपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. चम्पालाल आयु 70 वर्ष पुत्र रतना कोम सहर निवासी मुकुन्दपुरा हाल मुकाम आनन्द विहार कॉलोनी छबड़ा जिला बारां (राज०)

2. घनश्याम आयु 40 वर्ष पुत्र राघ्या उर्फ राधेश्याम कोम सहर निवासी मुकुन्दपुरा हाल मुकाम आलमपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

3. सचिव बारां सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा अटरू जिला बारां (राज०)

4. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा कवार्ड जिला बारा (राज०)

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0

बहाजिर :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रतिवादी क्रम 3

विद्वान अभिभाषक श्री हरिश चन्द्र हाडा प्रतिवादी क्रम 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम व माल मुकन्दपुरा की विवादित आराजी ख0नं0 1902 का रकबा 0.79 है0, ख0नं0 1906 रकबा 0.02 है0 व ख0नं0 1907 रकबा 0.49 है0 आराजी वादी क्रम 1 ता 4 के हिस्सा 1/2 व वादी क्रम 5 ता 7 के हिस्सा 1/2 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू संबंधित द्वारा बैंक के रहन की राशि जमा किए जाने के पश्चात नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। सहमति पत्र निर्णय का भाग रहेगा। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 स्वयं के हक हिस्से से अधिक भूमि पर दखलंदाजी न करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.04.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां
(राज0)